

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक 2962/कोरोना सेल/न्या.लि./2020

रायगढ़ दिनांक 29/मार्च/2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है। उक्त संक्रमण बीमारी के प्रभाव से भारत सहित पूरे विश्व के देशों में खतरा उत्पन्न हो गया है। कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने एवं बचाव हेतु पूरे भारत देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिससे उद्योगों में काम बंद होने के फलस्वरूप उद्योगों में कार्यरत दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर एवं श्रमिक के समक्ष खाने-पीने, रहने, दैनिक आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं होने या अन्य समस्या की जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम से प्रसारित/प्राप्त होने पर निगरानी करने एवं श्रमिकों/मजदूरों की समस्याओं पर संबंधित उद्योगों/स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उचित कार्यवाही करने हेतु श्री अशोक कुमार मार्बल, डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ (मो.नं. 94255-84600) को नोडल अधिकारी तथा श्री विकास सरोदे, सहायक श्रमायुक्त, जिला रायगढ़ (मो.नं. 98261-79404) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुये कामगारों/श्रमिकों से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु निम्नांकित अधिकारियों को शामिल करते हुए कमेटी का गठन किया जाता है :-

क.	अधिकारी का नाम	मोबाईल नं.
1	श्री संजीव सुखदेवे, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़	94255-75730
2	राहुल कुमार सोन सहायक संचालक जनसंपर्क जिला रायगढ़	94242-18629
3	श्री बी. बी. तिग्गा, उप संचालक, पंचायत, जिला रायगढ़	99817-13962
4	श्री रमेश साहू, प्र, उप संचालक, समाज कल्याण जिला रायगढ़	96913-79968
5	श्री रमेश देवांगन, जिला समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन रायगढ़	87706-79529

कमेटी प्रतिदिन की कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराएगी।  
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर  
एवं जिला दण्डाधिकारी  
रायगढ़ (छ.ग.)  
रायगढ़ दिनांक 29/मार्च/2020

पृ0क. 2962-A/कोरोना सेल/न्या.लि./2020

प्रतिलिपि :-

- 1- सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
- 2- सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर,
- 3- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर  
— की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- 5- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- 6- आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ
- 7- सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8- सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला- रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस आदेश का पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जावे।
- 10- सहायक संचालक, जनसम्पर्क जिला कार्यालय रायगढ़ को दैनिक सामाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
- 11- सर्व संबंधित श्री.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर  
एवं जिला दण्डाधिकारी  
रायगढ़ (छ.ग.)